E-Tender Notice (ई–निविदा आमन्त्रण सूचना)

महामहिम राज्यपाल महोदया, उ0प्र0 की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्य हेतु उ0प्र0 इलैक्टोनिक लिमेटिड में पंजीकृत ठेकेदार से दिनांक 15–05–2026 से 22–05–2026 तक अपरान्ह 3.00 बजे तक आनलाईन निविदा आमन्त्रित की जाती हैं। निविदा सम्बन्धी समस्त नियम व शर्तें ई–निविदा पोर्टल **https://etender.up.nic** पर उपलब्ध है। इच्छुक शासकीय विभाग में पंजीकृत ठेकदारों द्वारा दिनांक 22–05–2026 अपराहन 03–00 बजे तक अपनी निविदायें उपरोक्त ई–निविदा पोर्टल की वेबसाइट पर अपलोड की जा सकती है। निविदादाता द्वारा 02 प्रतिशत धरोहर राशि एन0एस0सी0 / एफ0डी0आर0 खण्ड विकास अधिकारी, मेरठ के नाम बन्धक कराकर अपलोड करनी होगी। वेबसाइट पर प्राप्त निविदा दिनांक 22–05–2026 को अपराहन 04–00 बजे उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि के समक्ष अधोहस्ताक्षरी द्वारा गठित समिति द्वारा खोली जायेगीं। अवकाश / अपरिहार्य स्थिति में यह निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी। निविदादाता द्वारा निविदा सम्बन्धी समस्त प्रपत्र कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी–मेरठ, को ई टेन्डरिंग के माध्यम से निविदा सबमिट करने की अन्तिम तिथि से एक कार्य दिवस के अन्दर पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य है ऐसा न करने की स्थिति में निविदा नॉन रेसपोन्सिव मानी जायेगी। निविदा में दि गयी कार्य की मात्रा / दर एंव धनराशि घट बढ सकती है। निविदा सम्बन्धी नियम एवं शर्तों की जानकारी दिनॉक 15–05–2026 को प्रातः 10–00 बजे से दिनॉक 22–05–2026 को अपरान्ह 2.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

खण्ड विकास अधिकारी
मेरठ।

कार्यालय –खण्ड विकास अधिकारी मेरठ।

पत्रांक 300 / लेखा0 / वि0नि0 / 2026–27 दिनांक : 13-05-2026

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

01– जिलाधिकारी महोदय, मेरठ।

02–मुख्य विकास अधिकारी महोदया, मेरठ।

03–परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण महोदय, मेरठ।

04– सम्पादक दैनिक भास्कर एंव हिन्दुस्तान अखबार मेरठ को यथास्थान प्रकाशित कर बिल कार्यालय में भुगतानार्थ उपलब्ध कराने हेतु।

05–अवर अभियन्ता (ग्रा0अ0वि0) विकास खण्ड मेरठ को इस आदेश के साथ कि आप उक्त e-tender विज्ञप्ति का विधिवत् वैब साइट पर प्रकाशन कराना सुनिश्चित करें तथा विधिवत् समस्त औपचारिकता /समिति गठित आदि कराते हुए नियत समय स्थानपर उक्त e-tendering निविदा की कार्यवाही सम्पन्न करें।

खण्ड विकास अधिकारी
मेरठ।

NIT

E-Tender Notice (ई–निविदा आमन्त्रण सूचना)

महामहिम राज्यपाल महोदया, उ0प्र0 की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्य हेतु उ0प्र0 इलैक्टोनिक लिमिटेड में पंजीकृत ठेकेदार से दिनांक 15–05–2026 से 22–05–2026 तक अपरान्ह 03.00 बजे तक आनलाईन निविदा आमन्त्रित की जाती हैं। निविदा सम्बन्धी समस्त नियम व शर्तें ई–निविदा पोर्टल https://etender.up.nic पर उपलब्ध है। इच्छुक शासकीय विभाग में पंजीकृत ठेकदारों द्वारा दिनांक 22–05–2026 अपराहन 03–00 बजे तक अपनी निविदायें उपरोक्त ई–निविदा पोर्टल की येबसाइट पर अपलोड की जा सकती है। निविदादाता द्वारा 02 प्रतिशत धरोहर राशि एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 खण्ड विकास अधिकारी, मेरठ के नाम बन्धक कराकर अपलोड करनी होगी। वेबसाइट पर प्राप्त निविदा दिनांक 22–05–2026 को अपराहन 04–00 बजे उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि के समक्ष अधोहस्ताक्षरी द्वारा गठित समिति द्वारा खोली जायेगीं। अवकाश/अपरिहार्य स्थिति में यह निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी। निविदादाता द्वारा निविदा सम्बन्धी समस्त प्रपत्र कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी–मेरठ, को ई टेन्डरिंग के माध्यम से निविदा सबमिट करने की अन्तिम तिथि से एक कार्य दिवस के अन्दर पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य है ऐसा न करने की स्थिति में निविदा नॉन रेसपोन्सिव मानी जायेगी। निविदा में दि गयी कार्य की मात्रा/दर एंव धनराशि घट बढ सकती है। निविदा सम्बन्धी नियम एवं शर्तो की जानकारी दिनॉक 15–05–2026 को प्रातः 10–00 बजे से दिनॉक 22–05–2026 को अपरान्ह 2.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

क्र0 सं0	मद	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित धनराशि लाख रू0	धरोहर राशि	नि0प्र0मू 18 प्रति0 जी0एस0टी0 व स्टेशनरी चार्जेज सहित कुल रू0	कार्य की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	वि0नि0	लक्खीपुरा गली न0 28 मे इरशाद के मकान से सराफत के मकान की ओर नाली व सी0सी0 रोड द्वारा सडक निर्माण कार्य।	2020000-00	40400-00	300+54+1000= 1354	तीन माह
2	वि0नि0	लक्खीपुरा गली न0 28 में जुबैर के मकान से फारूक के मकान की ओर नाली व सी0सी0 रोड द्वारा सडक निर्माण कार्य।	2233000-00	44700-00	300+54+1000= 1354	तीन माह
3	वि0नि0	दिल्ली रोड केसरगंज में आर0 के0 लाईट हाउस से सामुदायिक शौचालय एंव चौक तक सीवर लाईन व सी0सी0 रोड द्वारा सडक निर्माण कार्य।	1739000.00	34800.00	300+54+1000= 1354	तीन माह
4	वि0नि0	दिल्ली रोड केसरगंज में चौक से बडी मस्जिद के कोने तक एंव लिंक गलियो में सीवर लाईन व सी0सी0 रोड द्वारा सडक निर्माण कार्य।	1228000.00	24600.00	300+54+1000= 1354	तीन माह
5	वि0नि0	नौचंदी कस्ती द्वार के पास चित्रकुट कालोनी गेट न0–1 में शिवशंकर शर्मा के मकान से उर्वशी प्रिटिंग प्रेस की ओर नाली व सी0सी0 रोड द्वारा सडक निर्माण कार्य।	1099000.00	22000.00	300+54+1000= 1354	तीन माह
6	वि0नि0	लक्खीपुरा गली न0 28 में फतेहउल्लापुर मैन रोड से मुस्लिम सैफी कब्रिस्तान की ओर नाली व सी0सी0 रोड द्वारा सडक निर्माण कार्य।	1185000.00	23700.00	300+54+1000= 1354	तीन माह
7	वि0नि0	स्टेशन रोड पर हाजी साहब कब्रिस्तान में व मनसबिया मस्जिद गेट के सामने वाली गली एंव नाशिर के मकान से बाहरादरी मस्जिद की ओर सी0सी0 रोड द्वारा सडक निर्माण कार्य।	1500000.00	30000.00	300+54+1000= 1354	तीन माह

1– ई पोर्टल पर प्री क्वालीफिकेशन तकनीकी बिड के साथ जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, स्वः घोषण शपथपत्र 10/– रूपये के शपथपत्र पर नोटारी द्वारा सत्यापित, अनुमव प्रमाण पत्र, व्यापारकर द्वारा प्रदत्त जी0एस0टी0 नम्बर,फर्म पंजीकरण प्रमाण पत्र, आयकर पेन नम्बर ,आयकर क्वालीफिकेशन प्रमाण पत्र एवं 100/– का जूडिशियल स्टाम्प पेपर जिस पर एक रूपये का रसीदी टिकिट लगाकर अनुबन्ध लिखना हों कि 90 दिन तक मान्य होगा। धरोहर धनराशि अन्य प्रपत्रों / अभिलेखों की स्कैनड प्रति ई – निविदा पोर्टल वैब साइट पर अपलोड कराना अवश्यक होगा। ठकेदार को उ0प्र0 इलैक्टोनिक कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ में ई – निविदा हेतु पंजीकृण कराना अनिवार्य होगा।

2– निविदा अभिलेख आनलाइन करने हेतु दिनांक 15–05–2026 को प्रातः 10.00 बजे से 22–05–2026 के अपरान्ह 2.00 बजे तक साइट खुली रहेगी।

3– धरोहर धनराशि 2 प्रतिशत निविदा के साथ एन0एस0सी0 /एफ0डी0आर0 जो केवल राष्ट्रीयकृत बैंक / पोस्ट आफिस द्वारा जारी मान्य होगी। जिनका अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से बन्धक होना अनिवार्य है। उक्त धरोहर धनराशि कार्य समाप्ति के एक वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर वापस की जायेगी, तथा उक्त कार्य में एक वर्ष के अन्दर किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर ठेकेदार द्वारा स्वयं खर्चे से ठीक करायी जायेगी।

4–बिल से नियमानुसार लेबर सैस, टी0डी0एस0, जी0एस0टी0 की कटौती की जायेगी ।

5– निविदा को पूर्ण एवं आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार बिना कारण बताये अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा। निविदा में दी गयी दरों की वैधता 3 माह होगी।

6– कोई निविदा दाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो वह निविदा प्रकिया में भाग नहीं ले सकेगा।

7– विशेष परिस्थितियों में निविदा खोलने की तिथि एवं समय में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध होगी।

8 बिना औचित्य, बिना किसी आधार के दरें डाले जाने पर निविदा निरस्त किये जाने एवं निविदा दाता पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

9–सर्शत एवं अपूर्ण कोई भी निविदा स्वीकार नहीं किये जायेगी।

10– कार्य की मात्रा/धनराशि अधोहस्ताक्षरी द्वारा घटाई व बढाई जा सकती है।

11– निविदादाता का अपने हस्ताक्षर के नीचे पूरा नाम, मोबाइल नम्बर एवं पत्राचार का पता, साफ–साफ लिखना अनिवार्य होगा।

12– निविदादाता किसी भी कार्य दिवस में कार्य कराये जाने वाले कार्य स्थल निरीक्षण सुनिश्चित कर लें।

13– निविदादाता कार्य स्थल पर मजदूर को रखता है तो उसे मजदूरों के खान, रहने पानी पीने, शौचालय आदि की उचित व्यवस्था प्रबन्ध करना होगा। कार्य स्थल पर कार्य करते समय कार्य पर लगें सभी मजदूर को सभी प्रकार की दुर्घटनाओं से बचाव के उचित प्रबन्ध करनें होगें। कार्य करते समय यदि कार्य स्थल पर कोई घटना घटती है। तो उसका नियमानुसार मुआवजा आदि का उत्तर दायित्व /दावा निविदादाता का होगा।

14– निविदादाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि सामग्री का परिवहन स्वीकृत क्षमता से कम न हो स्वीकृत क्षमता से अधिक माल परिवहन की स्थिति में विमाग द्वारा गठित अनुबन्ध स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

15– कार्यो का अनुबन्ध धनराशि की उपलब्धता के अनुसार ही गठित किया जायेगा एवं सभी कार्य लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप ही कराये जायेगें।

16– विधायक निधि/सांसद निधि के अन्तर्गत किये गये कार्यो का अन्तिम भुगतान मा0 सासंद जी/मा0 विधायक जी की सहमति पर कार्य के सन्तोषजनक होने के उपरान्त ही किया जायेगा।

17– उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्नि निर्माण कर्मकार अधिनियम 1986 के सपठित नियमों 2009 के अनतर्गत अनुबन्ध गठित होने के बाद पंजीकृत कराना विधिक रूप से अनिवार्य होगा। ठेकेदार की निविदा स्वीकार होने पर अधिनियम व नियमावली के प्रविधानों के अन्तर्गत अनुबन्ध के साथ देय प्रपत्र 1 पर पूर्ण सूचना उपलब्ध कराते हुए तथा निर्धारित शुल्क जमा करते हुए निर्धारित अवधि में धारा 7 के अन्तर्गत पंजीयन सुनिश्चित करायेगें। ऐसा न होने की स्थिति में अनबन्ध निरस्त कर किया जा सकता है तथा उनसे कार्य नहीं कराया जायेगा। पंजीयन न कराने जाने वाले ठेकेदारों के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इस आशय का शपथपत्र रू0 10/– का देना एवं ई– पॅाटल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

18– वाद विवाद सम्बधी मामले का निस्तारण खण्ड विकास अधिकारी मेरठ द्वारा किया जायेगा ताकि उनका निर्णय अन्तिम होगा।

19– किसी भी कार्य पर एकल निविदादाता होने की स्थिति में निविदा स्वतः ही निरस्त मानी जायगी।

20– निविदा मूल्य की धनराशि बैंक ड्रॅाफ्ट के रूप में खण्ड विकास अधिकारी मेरठ के पक्ष में देय होगा तथा निविदा की धनराशि किसी परिस्थिति में वापस नहीं की जायेगी।

खण्ड विकास अधिकारी
मेरठ

कार्यालय –खण्ड विकास अधिकारी मेरठ

पत्रांक 300 / लेखा0/विं0नि0/2026–27 दिनांक : 13-05-2026

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

01– जिलाधिकारी महोदय, मेरठ।

02–मुख्य विकास अधिकारी महोदया, मेरठ।

03– परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण महोदय, मेरठ।

04– सम्पादक दैनिक भास्कर एंव हिन्दुस्तान अखबार मेरठ को यथास्थान प्रकाशित कर बिल कार्यालय में भुगतानार्थ उपलब्ध कराने हेतु।

05– अवर अभियन्ता (ग्रा0अ0वि0) विकास खण्ड मेरठ, मेरठ को इस आदेश के साथ कि आप उक्त etender विज्ञप्ति का विधिवत् वैब साइट पर प्रकाशन कराया जाना सुनिश्चित करें तथा विधिवत् समस्त औपचारिकता /समिति गठित आदि करातेहुए नियत समय स्थान पर उक्त etendering निविदा की कार्यवाही सम्पन्न करें।

खण्ड विकास अधिकारी
मेरठ

S.B.D.

निविदा में दिये जाने वाले प्रपत्र विवरण एवं शर्तें —

1— ई पोर्टल पर प्री क्वालीफिकेशन तकनीकी बिड के साथ जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, स्वः घोषण शपथपत्र 10/— रूपये के शपथपत्र पर नोटारी द्वारा सत्यापित, अनुभव प्रमाण पत्र, व्यापारकर द्वारा प्रदत्त जी0एस0टी0 नम्बर,फर्म पंजीकरण प्रमाण पत्र, आयकर पेन नम्बर ,आयकर क्वालीफिकेशन प्रमाण पत्र एवं 100/— का जूडिशियल स्टाम्प पेपर जिस पर एक रूपये का रसीदी टिकिट लगाकर अनुबन्ध लिखना हों कि दरें 90 दिन तक मान्य होगी। धरोहर धनराशि अन्य प्रपत्रों / अभिलेखों की स्कैनड प्रति ई — निविदा पोर्टल वैब साइट पर अपलोड कराना अवश्यक होगा। ठकेदार को उ0प्र0 इलैक्टोनिक कारपोरेशन लिमेटिड लखनऊ में ई — निविदा हेतु पंजीकृरण कराना अनिवार्य होगा।

2— निविदा अभिलेख आनलाइन करने हेतु दिनांक 15—05—2026 को प्रातः 10.00 बजे से 22—05—2026 के अपरान्ह 2.00 बजे तक साइट खुली रहेगी।

3— धरोहर धनराशि 2 प्रतिशत निविदा के साथ एन0एस0सी0 /एफ0डी0आर0 जो केवल राष्ट्रीयकृत बैंक / पोस्ट आफिस द्वारा जारी मान्य होगी। जिनका अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से बन्धक होना अनिवार्य है। उक्त धरोहर धनराशि कार्य समाप्ति के एक वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर वापस की जायेगी, तथा उक्त कार्य में एक वर्ष के अन्दर किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर ठेकेदार द्वारा स्वयं खर्चे से ठीक करायी जायेगी।

4—बिल से नियमानुसार लेबर सैस, टी0डी0एस0, जी0एस0टी0 की कटौती की जायेगी ।

5— निविदा को पूर्ण एवं आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार बिना कारण बताये अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा। निविदा में दी गयी दरों की वैधता 3 माह होगी।

6— कोई निविदा दाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो वह निविदा प्रकिया में भाग नहीं ले सकेगा।

7— विशेष परिस्थितियों में निविदा खोलने की तिथि एवं समय में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध होगी।

8' बिना औचित्य, बिना किसी आधार के दरें डाले जाने पर निविदा निरस्त किये जाने एवं निविदा दाता पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

9—सर्शत एवं अपूर्ण कोई भी निविदा स्वीकार नहीं किये जायेगी।

10— कार्य की मात्रा अधोहस्ताक्षरी द्वारा घटाई व बढाई जा सकती है।

11— निविदादाता का अपने हस्ताक्षर के नीचे पूरा नाम, मोबाइल नम्बर एवं पत्राचार का पता, साफ—साफ लिखना अनिवार्य होगा।

12— निविदादाता किसी भी कार्य दिवस में कार्य कराये जाने वाले कार्य स्थल निरीक्षण सुनिश्चित कर लें।

13— निविदादाता कार्य स्थल पर मजदूर को रखता है तो उसे मजदूरों के खान, रहने पानी पीने, शौचालय आदि की उचित व्यवस्था प्रबन्ध करना होगा। कार्य स्थल पर कार्य करते समय कार्य पर लगे सभी मजदूर को सभी प्रकार की दुर्घटनाओं से बचाव के उचित प्रबन्ध करनें होगें। कार्य करते समय यदि कार्य स्थल पर कोई घटना घटती है। तो उसका नियमानुसार मुआवजा आदि का उत्तर दायत्वि /दावा निविदादाता का होगा।

14— निविदादाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि सामग्री का परिवहन स्वीकृत क्षमता से कम न हो स्वीकृत क्षमता से अधिक माल परिवहन की स्थिति में विभाग द्वारा गठित अनुबन्ध स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

15— कार्यो का अनुबन्ध धनराशि की उपलब्धता के अनुसार ही गठित किया जायेगा एवं सभी कार्य लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप ही कराये जायेगें।

16— विधायक निधि/सांसद निधि के अन्तर्गत किये गये कार्यो का अन्तिम भुगतान मा0 सासंद जी/मा0 विधायक जी की सहमति पर कार्य के सन्तोषजनक होने के उपरान्त ही किया जायेगा।

17— उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्नि निर्माण कर्मकार अधिनियम 1986 के सपठित नियमों 2009 के अनतर्गत अनुबन्ध गठित होने के बाद पंजीकृत कराना विधिक रूप से अनिवार्य होगा। ठेकेदार की निविदा स्वीकार होने पर अधिनियिम व नियमावली के प्रविधानों के अन्तर्गत अनुबन्ध के साथ देय प्रपत्र 1 पर पूर्ण सूचना उपलब्ध कराते हुए तथा निर्धारित शुल्क जमा करते हुए निर्धारित अवधि में धारा 7 के अन्तर्गत पंजीयन सुनिश्चित करायेगें। ऐसा न होने की स्थिति में अनबन्ध निरस्त कर किया जा सकता है तथा उनसे कार्य नहीं कराया जायेगा। पंजीयन न कराने जाने वाले ठेकेदारों के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इस आश्य का शपथपत्र रू010/— का देना एवं ई— पेंटल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

18— वाद विवाद सम्बधी मामले का निस्तारण खण्ड विकास अधिकारी मेरठ द्वारा किया जायेगा ताकि उनका निर्णय अन्तिम होगा।

19— किसी भी कार्य पर एकल निविदादाता होने की स्थिति में निविदा स्वतः ही निरस्त मानी जायगी।

20— निविदा मूल्य की धनराशि बैंक ड्रॉफ्ट के रूप में खण्ड विकास अधिकारी मेरठ के पक्ष में देय होगा तथा निविदा की धनराशि किसी परिस्थिति में वापस नहीं की जायेगी।

खण्ड विकास अधिकारी
मेरठ

Signature Not Verified
Digitally signed by SACHIN KUMAR
Date: 2026.05.14 22:37:13 IST
Location: Uttar Pradesh-UP